



मण्डल:- बरेली, जनपद:- बरेली, तहसील:- बहेड़ी
न्यायालय उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर), न्यायिक

वाद संख्या:- 1174/2024

कार्बन सर्किल प्राइवेट लि० बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2024121311051174

अंतर्गत धारा:- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 13/02/2024

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक कार्बन सर्किल प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत प्रतिनिधि मुकुन्द पाण्डेय पुत्र गोपाल पाण्डेय निवासी मार्ग नम्बर 2 पवनपुत्र वस्ती पटना के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुयी। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी गाटा संख्या 161 रकवा 0.7430 हे० ग्राम वसुपुरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली में स्थित है। वादी द्वारा भूमि स्थित ग्राम वसुपुरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 161 रकवा 0.7430 हे० में से 0.3715 हे० भाग को धारा 80(1) 30 प्र० राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत उद्घोषित कराये जाने के उद्देश्य से वाद इस न्यायालय में योजित किया गया है।

आवेदक के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार बहेड़ी से स्थलीय जांच करायी गयी। तहसीलदार बहेड़ी द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 20.12.2023 में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी गाटा संख्या 161 रकवा 0.7430 हे० ग्राम वसुपुरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली में स्थित है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक कार्बन सर्किल प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत प्रतिनिधि मुकुन्द पाण्डेय पुत्र गोपाल पाण्डेय निवासी मार्ग नम्बर 2 पवनपुत्र वस्ती पटना का नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में औद्योगिक कार्य किया जा रहा है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि धारा 80 (2) के अंतर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटा की अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अंतर्गत नहीं है। प्रस्तावित भूमि धारा 77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा उद्घोषणा शुल्क (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली के अनुसार आगणित शुल्क 11888/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक शाखा बहेड़ी में दिनांक 22.12.2023 को जमा किया जा चुका है तथा 11900/- रुपये कोर्ट फीस स्टाम्प भी न्यायालय में जमा किया गया है जो पत्रावली में सलग्न है। तहसीलदार बहेड़ी द्वारा भूमि स्थित ग्राम वसुपुरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 161 रकवा 0.7430 हे० में से 0.3715 हे० भाग को धारा 80 (2) 30 प्र० राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत अकृषक उद्घोषित कराये जाने हेतु आख्या सस्तुति सहित इस न्यायालय में प्रेषित की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम वसुपुरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 161 रकवा 0.7430 हे० में से 0.3715 हे० भाग को धारा 80 (1) 30 प्र० राजस्व संहिता 2006 के तहत अकृषक उद्घोषित कराये जाने हेतु वाद इस न्यायालय में योजित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा धारा 80 (1) 30 प्र० राजस्व संहिता 2006 की उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय है। वाद धारा 80 (4) से बाधित नहीं है। तहसीलदार बहेड़ी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 20.12.2023 पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है। ऐसी दशा में आवेदक का प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार बहेड़ी की आख्या दिनांक 20.12.2023 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।



आदेश

उपर्युक्त के आधार पर आवेदक कार्बन सर्किल प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत प्रतिनिधि मुकुन्द पाण्डेय पुत्र गोपाल पाण्डेय निवासी मार्ग नम्बर 2 पवनपुर वस्ती पटना द्वारा प्रस्तुत वाद तथा तहसीलदार बहेड़ी की आख्या दिनांक 20.12.2023 स्वीकार की जाती है, तदनुसार धारा 80 (2) के अंतर्गत यह घोषणा की जाती है कि आराजी स्थित ग्राम वसुपुरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 161 रकवा 0.7430 हे० में से 0.3715 हे० भाग का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकारिता के नियामक संस्थाओं की अनुमति के अधीन किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या जो किसी महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो। यदि भूमिधर इस घोषणा के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर गैर कृषि गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो यह घोषणा व्यपगत हो जायेगी। राजस्व अभिलेखों में आदेश के अकन हेतु परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।


उपजिलाधिकारी (न्यायिक)
बहेड़ी बरेली।